# न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 106/2024

अपीलाण्टगण बनाम रेस्पोडेन्टगण

**अपीलाण्टगण**

1. कादर खॉ पुत्र मुरीद खॉ के का0मु0—
   1. मुमल पत्नी कादर खॉ
   2. निजाम खॉ पुत्र कादरखॉ
   3. मेरदीन पुत्र कादर खॉ
   4. मलारखॉ पुत्र कादर खॉ
   5. लतीफ खॉ पुत्र कादर खॉ
   6. नूरे खॉ पुत्र कादर खॉ
   7. शकूर खॉ पुत्र कादर खॉ
   8. इकबाल खॉ पुत्र कादर खॉ
   9. ऐलमा पुत्री कादर खॉ
   10. सकिना पुत्री कादर खॉ

   जाति मुसलमान निवासीगण— चान्दणी मेधासर, तहसील फलसूण्ड जिला जैसलमेर।
2. भागे खॉ पुत्र मुरीदखॉ के का0मु0—
   1. जाखब खॉ पुत्र भागे खॉ

   निवासी—पाटोदी खारडी, तहसील पचपदरा।
3. इसे खॉ पुत्र मुरीदखॉ के का0मु0—
   1. नसीर खॉ पुत्र भागे खॉ
   2. समसुदीन पुत्र इसे खॉ
   3. रजाक पुत्र इसे खॉ
   4. सतार खॉ पुत्र इसे खॉ
   5. गनीखॉ पुत्र इसे खॉ
   6. भीखीदेवी पत्नी इसे खॉ

   निवासी—पाटोदी खारडी, तहसील पचपदरा।

**बनाम**

**रेस्पोडेन्टगण**

1. हनीफा पत्नी करीमखॉ के का0मु0—
   1. अल्लाबचाय खॉ पुत्र करीम खॉ
   2. सायरा पुत्री करीम खॉ
   3. केसर पुत्री करीम खॉ
   4. राजी पुत्री करीम खॉ
   5. अन्नो पुत्री करीम खॉ

   निवासी— पाटोदी खारडी, तहसील पचपदरा।
2. अल्लाबचाय पुत्र करीमखॉ निवासी— पाटोदी खारडी, तहसील पचपदरा।
3. गफूरखॉ पुत्र मुरीद खॉ निवासी— पाटोदी खारडी, तहसील पचपदरा।
4. लतीफ खॉ पुत्र गफूरखॉ
5. इलियास पुत्र गफूर खॉ
6. अयूब खॉ पुत्र गफूर खॉ
7. नूरे खॉ पुत्र गफूर खॉ
8. सेयती पत्नी इलियास खॉ
9. हुरमी पत्नी लतीब खॉ
10. रामत पत्नी आईब

    रेस्पो0संख्या 4 ता 10 निवासीगण— चान्दणी मेधासर, तहसील फलसूण्ड जिला जैसलमेर।
11. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार फलसूण्ड, जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 23.07.2024 को तहसीलदार, फलसूण्ड के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 216 पर पारित किया गया।

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

उपस्थितिः—

1. श्री पीराणे खान, श्री इकबाल, विद्वान अधिवक्तागण, अपीलाण्ट्स की ओर से।
2. श्री अब्दुल कादिर, विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1/2 की ओर से।
3. श्री गोपालसिंह राजपुरोहित, विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 से 10 की ओर से।
4. श्री नवलसिंह दहिया, विद्वान राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 11 की ओर से।
5. रेस्पो0 संख्या 1/1, 1/3 से 1/5 तथा रेस्पो0 संख्या 02 बावजूद तामीली के अनुपस्थित।

:: निर्णय ::

दिनांकः 21 जनवरी, 2026

1. अपील पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टस् के द्वारा यह अपील तहसीलदार फलसूण्ड के द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 216 पर पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 23.07.2024 ग्राम चानणी मेघासर तहसील फलसूण्ड जिला जैसलमेर को निरस्त कराने हेतु दिनांक 08.11.2024 को न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

2. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित है। बहस उभयपक्षकारान् की सुनी गई। अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने हेतु प्रस्तुत किये गये मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्टस के द्वारा विवादग्रस्त कृषि भूमि को बेचान हेतु अन्य व्यक्तियों को दिनांक 20.10.2024 को दिखाई गई तब अपीलान्टस के द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे जाने पर रेस्पोडेन्ट ने बताया कि उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि का मेरे नाम से नामान्तरकरण दर्ज है तथा गफूर खॉ के द्वारा हमें उक्त खसरान की भूमि दान कर दी गई है और हम इस कृषि भूमि का बेचान करने जा रहे है, तुम्हारा इस कृषि भूमि से कोई लेना देना नहीं है। जिसके पश्चात अपीलान्ट के द्वारा राजस्व रिकार्ड लेने हेतु अधिवक्ता से सम्पर्क किया तब जानकारी में आया कि राजस्व मण्डल, अजमेर न्यायालय में विचाराधीन अपील को अल्लाबचाय वगैरा के द्वारा दिनांक 16.07.2024 को विड्रो करवाया तथा दिनांक 22.07.2024 को तहसीलदार, फलसूण्ड के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश कर नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का निवेदन किये जाने पर तहसीलदार, फलसूण्ड के द्वारा दिनांक 23.7.2024 को अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 216 को स्वीकृत कर दिया है। तब अपीलान्ट को दिनांक 21.10.2024 को

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी हुई। इस कारण से प्रथम ज्ञान से उक्त अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जावें। रेस्पोडेन्टस के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलान्ट की ओर से पेश मियाद प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का विरोध किया तथा अपील को मियाद बाहर मानते हुए खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपीलान्ट की ओर से पेश मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

3. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील मीमो में तथा दिनांक 03.12.2025 को लिखित बहस पेश करते हुए उनमें वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये यह कथन किया कि पूर्व ग्राम फलसूण्ड वर्तमान ग्राम चानणी मेगासर के खेत खसरा सं0 115 रकबा 228.13 बीघा व ग्राम पिरासर में खसरा नं0 141 रकबा 14.12 बीघा भूमि स्थित है। उक्त भूमि वक्त सेटलमेंट के दौरान मुरीद खॉ के नाम दर्ज हुई। मुरीद खॉ फौत हो चुका है एवं मुरीद खॉ के पुत्र गफूर खॉ, बादे खॉ, करीम खॉ(फौत) कादर खॉ(फौत), इसे खॉ (फौत) है। उक्त भूमि पर इन सभी भाईयों का कब्जा काश्त पीढीयों से चला आ रहा है एवं बराबर–बराबर रूप से यानि 1/5–1/5 हिस्से के हकदार है। प्रश्नगत भूमि पर अपीलान्टस् के रहवासीय मकान बने हुए हैं और इसी के अनुसार अपने हिस्से के अनुसार अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है।

4. अपीलान्टस् के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि गफूर खॉ स्व. मुरीदखॉ का बडा पुत्र होने से मुरीद खाँ की मृत्यु के बाद हल्का पटवारी से मिलकर सम्पूर्ण भूमि अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली, जबकि वास्तव में सम्पूर्ण रकबे पर प्रतिवादी का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा, न ही आज है। अपीलान्ट के पिता कादर खॉ अपने हक हिस्से की भूमि में आज भी काबिज है। गफूर खॉ के अकेले के नाम खातेदारी दर्ज होने की जानकारी होते ही एक राजस्व वाद न्यायालय सहायक कलेक्टर, पोकरण के समक्ष पेश किया गया। उक्त राजस्व वाद सं० 118/2006 में पारित निर्णय दिनांक 29–12–2006 के अनुसार वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नं0 115 रकबा 228.13 बीघा, व ग्ररम पिरासर में खसरा नं० 141 रकबा 14.12 मुरीद खाँ के नाम दर्ज रही। श्री मुरीद खॉ के पांच लडके थे लेकिन वादग्रस्त भूमि अकेले गफूर खों के नाम दर्ज कर दी गई जो कि सही नही है तथा अपीलान्ट का दावा स्वीकार किया गया तथा चानणी मेगासर के खसरा नं० 115 रकबा 228.13 व ग्राम पिरासर के खसरा नं0 141 रकबा 14.12 बीघा

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

में अपीलान्ट/ वादीगण 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादीगण 1/4 हिस्से का कमशः गफूर खॉ, कादर खॉ, बादे खॉ, इसे खॉ प्रत्येक को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया।

5. अपीलान्टस् के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उक्त पारित वाद में पारित निर्णय दिनांक 29.12.2006 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट सं० 3 गफूर खॉ द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी। जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि मुरीद खॉ के चार पुत्रों द्वारा इस पर कोई आपत्ति नही की गई। केवल मात्र एक पुत्र गफूर खाँ द्वारा आपत्ति की गई थी परन्तु कही पर भी यह साबित नहीं कर सके कि विवादित भूमि उनकी स्वअर्जित भूमि है, जबकि अपीलान्ट के द्वारा अदालत मातहत के समक्ष सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 27 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर विवादित भूमि की संवत 2018 से 2046 तक की जमाबन्दी पेश कर साबित कर दिया कि विवादित भूमि स्व० मुरीद खॉ की खातेदारी भूमि थी जो कि उसकी मृत्यु के पश्चात गलत रूप से अकेले गफूर खॉ के नाम दर्ज हो गई जो काबिल दुरस्ती है। अदालत मातहत द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया था। इसके बावजूद भी उक्त दस्तावेजों पर ध्यान नही दिया गया और जानबूझकर अपीलान्ट को नुकसान पहुंचाने व प्रतिवादी को फायदा पहुंचाने की नियत से राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय ने निर्णय पारित कर दिया। इसके अतिरिक्त देरी से प्रस्तुत की गई अपील के सम्बन्ध में निर्णय में कोई उल्लेख नही किया और मात्र यह कथन कर फैसला पारित कर दिया कि ट्रायल कोर्ट ने राजस्व वाद/दावे में किसी प्रकार की तनकी पारित नही की है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सीडीआर 2008 पार्ट 1 राज0 पेज 355 में यह स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि तनकियात बंनाने या न बनाने से प्रकरण में क्या प्रभाव पडेगा तथा क्या इस बिन्दू पर फैसले व डिकी को निरस्त किया जा सकता है। राजस्व अपील अधिकारी के द्वारा इस बिन्दू पर गलत एवं कानूनी त्रुटिपूर्ण रवैया अपनाते हुए फैसला पारित कर दिया।

6. अपीलान्टस् के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.7.2008 के विरूद्ध हनीफा पत्नी करीम खॉ की ओर से राजस्व मण्डल के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई, जिस अपील संख्या 8131/2008 में राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति के आदेश पारित किये गयें। इसके बावजूद बाले-बाले ही हनीफा की ओर से उक्त द्वितीय अपील को विड्रो करवाने के आदेश पारित करवा लिया गया। हम अपीलान्ट को नुकसान कारित करने के आशय से हमारी पीढियों से कब्जा काश्त की रेकर्डेड खातेदारी भूमि मे से बेदखल करने के लिए ऐसा षडयन्त्रपूर्वक कार्य किया। इस निर्णय की जानकारी होने



सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

पर हम अपीलान्टस के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एक याचिका एस.बी. सिविल रिट् पीटिशन सं. 13409/2024 पेश करते हुए कथन किया गया कि न्यायालय सहायक कलेक्टर, पोकरण के आदेश दिनांक 29.12.2006 में मुरीद खों के पांच पुत्रों के हिस्से में 1/5 हिस्से के खातेदार घोषित किये थे। इसके पश्चात गफूर खाँ के द्वारा प्रस्तुत अपील में तामिल पूर्ण करवाये बिना ही तथा साक्ष्य का अवलोकन किये बिना ही राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय से दिनांक 28.7.2008 को निर्णय पारित कर निर्णय दिनांक 29.12.2006 को अपास्त करवा लिया। उक्त आदेश की आड में कब्जा काश्त, ढाणीया, टांका, पीढियों से वक्त सेटलमेंट मुरीद खॉ के हक हिस्से की भूमि में चला आ रहा है उक्त भूमि को मुरीद खॉ के देहान्त के पश्चात अकेले गफूर ने अपने नाम दर्ज करवा ली उक्त खसरान की भूमि में से हमें बेदखल करने पर आमदा है तथा उक्त भूमि को आगे गफूर व अन्य रेस्पोडेन्ट्स का परिवार अन्य को बैचान, दान, प्रकार से हस्तान्तरण कर दिया है तथा हमारे हिस्से से हमेशा के लिए वंचित करना चाहते है। इसके अतिरिक्त जो अपीलाधीन नामान्तरकरण सं0 216 दिनांक 23-7-2024 को पारित किया गया है वह भी बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये व बिना नोटिस दिये तथा माननीय उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल राज. अजमेर में अपीलीय कार्यवाही विचाराधीन होते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया।

7. अपीलान्टस् के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि तहसीलदार फलसूण्ड के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 216 को स्वीकृत किये जाने बाबत पारित आदेश दिनांक 23.7.2024 कानून एवं रेकर्ड के विपरित होने से काबिले खारिज है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने नामान्तरकरण को स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्ट्स को किसी भी प्रकार का सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। इस बिनाय पर भी अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 216 काबिले खारिज है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने नामान्तरकरण संख्या 216 को स्वीकृत करने से पूर्व मृतक मुरीद खॉ के पांच पुत्र कमशः गफूर खाँ, बादर खॉ, करीम खॉ, इसे खॉ, कादर खॉ को किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया जबकि आदेश दिनांक 20.12.2006 मे स्पष्ट उल्लेख था। इससे स्पष्ट ताइद है कि तहसीलदार, फलसूण्ड ने मृतक खातेदार के सभी प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों की कोई जांच नही की। केवल मात्र रेस्पोडेन्ट्स के नाम भूमि दर्ज करने के उद्देश्य से नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है, जोकि काबिले खारिज है। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आरआरटी 2009 पार्ट-2 पेज 1225 में स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि दोनों पक्षों की ओर से उसी सम्पति के संबध में वाद कार्यवाही विचाराधीन हो पक्षकारों के मध्य चल रही हो तो तहसीलदार के द्वारा नामान्तरकरण नहीं खोला जाना चाहिए। साथ ही



संभागीय आयुक्त
जोधपुर

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी खातेदार की मृत्यु हो जाने पर फौतेदगी का म्युटेशन उसके प्रथम श्रेणी के वारिसान के नाम भरा जाना चाहिए। इस प्रकार स्व. मुरीद खाँ का देहान्त होने पर उसके प्रथम श्रेणी के वारिसान यानि अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करना चाहिए था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रावधानों के विपरीत जाकर नामान्तरकरण स्वीकृत किया है। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर आरबीजे 2015 पेज 599 में प्रतिपादित सिद्वान्त के अनुसार म्युटेशन सं0 216 खारिज किये जाने योग्य है।

8. अपीलान्टस् के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि राज0 लेण्ड रिकोर्ड रूल्स 119 के तहत हल्का पटवारी को जांच कर वारिसान के नाम नामान्तरकरण में दर्ज करना चाहिए तथा लेण्ड रेकर्ड रूल्स 121 (2) के तहत भू निरीक्षक को भी जांच करके म्युटेशन में टिप्पणी का इन्द्राज करना चाहिए तथा लेण्ड रेकर्ड रूल्स 121 (3) के तहत सरपंच को उत्तराधिकारियों की जांच करनी चाहिए तथा उसके संबंध में साक्ष्य भी लेनी चाहिए। जांच व साक्ष्य लेने के बाद ही लेण्ड रेकर्ड रूल्स 121(4) के तहत म्युटेशन स्वीकृत करना चाहिए। विवादग्रस्त म्युटेशन अपीलान्ट को अपने हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि से वंचित करने के लिए निर्णय दिनांक 28.07.2008 की पालना में दिनांक 22.07.2024 को कार्यालय तहसीलदार द्वारा हल्का पटवारी को पत्र प्रेषित किया गया जो कि इतने समय बाद भारी विलम्ब से तथा बिना किसी उचित जांच तथा राजस्व मण्डल अजमेर में उक्त खसरान की भूमि के संबंध में अपील विचाराधीन होते हुए भी दिनांक 28.7.2008 की पालना में मौका रिपोर्ट, मौका निरीक्षण किये बिना तथा विधिक बारिसों को नोटिस दिये बिना अपीलान्ट के पीठ पीछे बाले-बाले करीब 16 वर्ष बाद बिना किसी आधार के निर्णय की पालना में अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृत कर दिया गया। विवादग्रस्त म्युटेशन स्वीकृत करने से पूर्व पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारी ने लेण्ड रेकर्ड रूल्स 119 से 148, की भी पालना नहीं की है तथा यदि कोई निर्णय होता है तो उक्त निर्णय की पालना में अर्थात् उच्चतर न्यायालय में अपील की मियाद तक न्यायालय को निर्णय के आदेश की पालना में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लेना चाहिए था। बिना किसी अपील की अवधि का इन्तजार किये बिना ही जल्दबाजी में आदेश पारित कर दिया गया। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

9. अपीलान्टस् के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि दिनांक 19.7.2024 को रेस्पोडेन्ट अल्लाबचाया पुत्र श्री करीम खॉ ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को विड्रो किये

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

जाने का निवेदन किया तथा शपथ पत्र में उल्लेख किया कि मैं अल्लाबचाया पुत्र करीम खॉ बहैसियत मुख्त्यार आम श्रीमती सायरा, श्रीमती केसर, श्रीमती राजी एवं श्रीमती अन्नों पुत्रीयां करीम खॉ निवासी–पाटोदी खारडी, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर जबकि न तो कोई आम मुख्त्यार की प्रति रिकोर्ड पर उपलब्ध है न ही किसी प्रार्थनापत्र पर अन्य करीम खॉ की पुत्रीयों के हस्ताक्षर है बेईमानीपूर्वक अकेले अलाबचाया ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जबकि अकेला अलाबचाया प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रो विधि अनुसार सक्षम नही होने के बावजूद बाले बाले प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील पर रेस्पोडेन्टगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपील विड्रो करवा ली। इस कारण भी बिना सुनवाई का अवसर दिये एक मात्र पक्षकार के द्वारा अपील विड्रो नहीं की जा सकती थी, इस कारण से भी अपीलाधीन आदेश अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है।

10. अपीलान्टस् के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि गफूर खॉ की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या 2005/361 बअनवान गफूर खॉ बनाम कासम खॉ वगैरा जो कि खसरा संख्या 115 के विरूद्ध लम्बित है। उक्त अपील के लम्बित होते हुए खसरा सं0 115 का नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया है। आर0आर0टी0 2009(2) पेज 1225 में यह स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित गया किया है कि अधिकारों की घोषणा हेतु अपील विचाराधीन है तो तहसीलदार के द्वारा नामान्तरकरण नही खोला जाना चाहिए। राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष अपील संख्या 8131/2008 अनवान कादर खॉ के कायम मुकाम बनाम हनीफा के कायम मुकाम वगैरा में अधिकारों का अधिनिर्णय होना शेष है।

11. अपीलान्टस् के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि तहसीलदार फलसूण्ड के समक्ष दिनांक 22.7.2024 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर प्रथम अपील में पारित आदेश दिनांक 28.7.2008 की पालना के लिए निवेदन किया जाता है। जब उक्त प्रार्थना पत्र में ही अपीलान्ट बनाम रेस्पोडेन्ट के नाम से उल्लेख हो गया तब अपने आप में ही विवादित म्युटेशन आदेश पारित होना प्रकट है। दिनांक 22.7.2024 को तहसीलदार, फलसूण्ड के पत्र क्रमांक राजस्व/2024/854–55 के द्वारा हल्का पटवारी फलसूण्ड को एक पत्र प्रेषित किया गया। हल्का पटवारी के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार के द्वारा दिनांक 23.72024 को यानि अगले दिन ही नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश पारित कर दिया जबकि उक्त आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई जांच नही की। इतने वर्षो बाद सिर्फ दो दिन में राजस्व मण्डल के निर्णय

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

की बिना सत्यापित प्रति पेश हुए ही नामान्तरकरण को स्वीकृत करने संबंधी आदेश पारित कर दिया गया। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है।

12. अपीलान्टस् के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि राजस्व वाद संख्या 20/1995 न्यायालय सहायक कलेक्टर पोकरण के निर्णय दिनांक 5–3–2002 में स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है कि गफूर स्वयं ने कहा कि हम पांच भाई है, मुराद खॉ पुत्र मुरीद खॉ लिख दिये जाना बताया है जिसका मैने दावा किया है तथा मोहबत खॉ व भीमे खॉ व मुरीद खॉ भी सगा भाई है तथा पाकिस्तान चले जाने का उल्लेख किया गया है तथा मैं अकेला ही यहां रह रहा हूँ तथा मेरे पिताजी भी पाकिस्तान रहते है। भाईयों का इस जमीन में बंट होना बताया, फिर पेन से बंट के उपर नही होना हाथ से लिखा गया तथा उक्त आदेश के पेज सं0 4 मे उल्लेख किया कि मेरा नाम गफूर पुत्र मुरीद खॉ उसका नाम मुरीद खॉ नहीं होना बताया। मैने दावा वर्ष 1985 में पेश किया था जिसका फैसला 20–11–90 को हुआ मुराद खॉ पुत्र श्री मुरीद खॅा के नाम का कोई आदमी नही है। मेरे चारों भाईयों के नाम बादे खॉ, कादर खॉ, करीम खॉ तथा इसे खॉ है तथा इस खेत में बादे खॉ व कादरखॉ व करीम खॉ की ढाणी बनी हुई है इस प्रकार अपीलान्ट के पिता कादर खॉ का शुरूआत से ही उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त चला आ रहा है। गफूर खॉ अलग–अलग प्रकार से दावे करके उक्त जमीन को हडप करना चाहता है। इस कारण उक्त खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध अपील विचाराधीन होते हुए भी अपीलाधीन नामान्तरकरण सं0 216 स्वीकृत होने के पश्चात रेस्पो0 संख्या 3 गफूर खॉ ने नामान्तरकरण सं0 217 तस्दीक करवाकर आगे भूमि दान कर दी। इस कारण भी अपने हक हिस्से से अधिक किये गये अन्तरण भी आरम्भ से ही शून्य है। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। माननीय राजस्व मण्डल की निर्णय नजीर आरआरडी 1993 पेज 28 में यह स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 135 राज0 भू–राजस्व अधि0 के तहत तहसीलदार के द्वारा स्वीकृत किये गये विवादित नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील संभागीय आयुक्त न्यायालय को होगी। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की इस अपील को स्वीकार फरमाया जावे तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 216 अपास्त व निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के हक हिस्से से अधिक किये गये बेचान को अपास्त व निरस्त किये जाने के आदेश फरमावे।

13. प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1/2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि तहसीलदार फलसूण्ड के द्वारा ग्राम चानणी मेघासर तहसील फलसूण्ड जिला जैसलमेर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 216 को स्वीकृत करने बाबत दिनांक 23.7.2024 को आदेश



संभागीय आयुक्त
जोधपुर

पारित कियां गया है, वो पूर्ण रूप से उचित है। उक्त नामान्तरकरण राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय के द्वारा राजस्व अपील संख्या 26/2007 अनवान गफूरखॉ बनाम हनीफा वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 28.7.2008 की पालना में दर्ज किया जाकर स्वीकृत किया गया है। जो यथावत रखा जावे एवं अपीलान्टस् की अपील खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज की जावे एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 216 को यथावत रखा जावें।

14. प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 3 से 10 की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह कथन किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा म्यूटेशन संख्या 216 पर दिनांक 23.07.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत उपरोक्त अपील मियाद की समयावधि में प्रस्तुत नहीं की गई है जो अत्यधिक देरीना प्रस्तुत की गई है और म्यूटेशन की जानकारी उन्हें दिनांक 21.10.2024 को प्रथम बार होने के कथन किये है जबकि जानकारी अपीलार्थीगण को किसके माध्यम से व कैसे हुई, का अपीलार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण को जैर अपील म्यूटेशन की जानकारी दिनांक 21.10.2024 को होने के कथन माने जाने योग्य नहीं है। अपीलार्थीगण स्वयं के कथनानुसार नामान्तरकरण आदेश से भली भांति वाकिफ रहे है और उन्हें उक्त म्यूटेशन स्वीकृत होने की पूर्ण जानकारी रही है ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को किसी भी रूप में माफ नहीं किया जा सकता है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि मियाद के बाबत् देरी के कारण एक-एक दिन को स्पष्ट करना पड़ता है कि देरी का क्या कारण रहा, जबकि अपीलार्थीगण द्वारा मात्र यह अंकित किया गया है कि उनको अपीलाधीन आदेश की दिनांक 21.10.2024 को जानकारी हुई जो सरासर गलत व झूठ है अतः अपीलार्थीगण की अपील मियाद बाहर होने से काबिले खारिज है जिसे खारिज माना जावे।

15. रेस्पो0 संख्या 3 से 10 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थीगण के द्वारा माननीय न्यायालय से वास्तविक तथ्य छुपाते हुए झूठे कथनो के आधार पर और दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है यानि अपीलार्थीगण स्वच्छ हाथों से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुए है इसलिये किसी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है यहां तक की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भिन्न-भिन्न न्यायिक दृष्टान्त पारित किये है कि साफ हाथो से न्यायालय के समक्ष कोई वाद या अपील प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी को उक्त प्रकरण में किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

16. रेस्पो0 संख्या 3 से 10 की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह कथन किया गया कि उक्त अपील म्यूटेशन संख्या 216 दिनांक 23.07.2024 तहसीलदार फलसूण्ड जिला जैसलमेर के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जो कि मात्र खसरा संख्या 115 के बाबत ही पारित किया गया है परंतु अपीलार्थी के द्वारा उक्त अपील में खसरा संख्या 115 व खसरा संख्या 141 दोनों का वर्णन करते हुए गुमराह करने की कोशिश की गई है जबकि खसरा संख्या 141 के बाबत न्यायालय के आदेश की पालना में ही तहसीलदार के द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश पारित किया गया है जो कि म्यूटेशन संख्या 44 दिनांक 24.07.2024 को पारित किया गया है जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण के द्वारा आज दिनांक तक कोई चाराजोई नहीं की गई है। उक्त म्यूटेशन संख्या 44 की प्रति फॉर्म नं. 3 के साथ पेश की गई है।

17. रेस्पो0 संख्या 3 से 10 की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी कथन किया गया कि अपीलाधीन म्यूटेशन संख्या 216 तहसीलदार के आदेश की पालना में पारित किया गया है जबकि अपीलार्थीगण के द्वारा तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है ऐसी स्थिति में तहसीलदार फलसूण्ड के द्वारा पारित आदेश अस्तित्व में रहते हुए उक्त म्यूटेशन को किसी भी रूप से खारिज नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त अपीलार्थीगण के द्वारा सम्पूर्ण अपील में जानबूझकर झूठे तथ्य अंकित किये है कि पूर्व ग्राम फलसूण्ड वर्तमान ग्राम चांदणी मेगासर में खेत खसरा नं. 115 रकबा 228.13 बीघा व पीरासर में खसरा नं. 141 रकबा 14.12 बीघा आया हुआ है उक्त भूमि पीढ़ियो से व वक्त सेटलमेंट मुरीद के नाम दर्ज हो रखी है। मुरीद खाँ की मृत्यु के बाद गफूर खाँ द्वारा बडे पुत्र होने से हल्का पटवारी से मिलकर सम्पूर्ण भूमि अपने अकेले के नाम दर्ज करवाई गई और विवादित भूमि स्व. मुरीद खाँ की खातेदारी भूमि थी जो कि उसकी मृत्यु के पश्चात गलत रूप से अकेले गफूर खाँ के नाम दर्ज हो गई। मुरीद खाँ का देहान्त होने के बाद तथा राजस्व वाद/अपील विचाराधीन होते हुए वादग्रस्त म्यूटेशन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा स्वीकृत नहीं करना चाहिए था जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी खातेदार की मृत्यु हो जाने पर फौतेदगी का म्यूटेशन उसके प्रथम श्रेणी के वारिसान के नाम भरा जाना चाहिए। ऐसे में मुरीद खाँ का देहान्त होने पर उसके प्रथम श्रेणी के वारिसान अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करना चाहिए था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रावधानो के विपरीत जाकर नामान्तरकरण स्वीकृत किया है जबकि अपीलार्थीगण के द्वारा उक्त अपील मुरीद खाँ के फौत होने पर फौतेदगी म्यूटेशन के विरूद्ध प्रस्तुत नहीं कर एक पंजीबद्ध हुए दस्तावेज के अनुसार दर्ज होकर स्वीकृत किये म्यूटेशन के विरूद्ध प्रस्तुत की है। अपील में वर्णित दोनों



संभागीय आयुक्त
जोधपुर

खसरान् की भूमि मुरीद खाँ के नाम कभी नहीं रही और न ही मुरीद खाँ के फौत होने पर किसी प्रकार का फौतेदगी म्यूटेशन पारित किया गया है। अपीलार्थीगण के द्वारा वक्त सेटलमेंट दोनो खसरान् की भूमि मुरीद खाँ के नाम दर्ज होना, झूठे कथन किये है जो कि फॉर्म नं. 3 के साथ पेश दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त है जो संवत् 2014 से 2031, संवत् 2022 से 2025, संवत् 2026 से 2029, संवत् 2030 से 2033, संवत् 2033 से 2036 की जमाबन्दी है, संवत् 2072 से 2075 की जमाबन्दी है जो गफूर खाँ वल्द मुरीद खाँ के नाम की है। इसी तरह खसरा संख्या 115 का वक्त सेटलमेंट का पर्चा लगान गफूर खाँ पिता मुरीद खाँ का 1/2 हिस्सा अंकित है व मोहब्बत खाँ, भींया पिता अजीत का 1/2 हिस्सा है, जमाबन्दी संवत् 2014 से 2031,संवत् 2050 से 2053, संवत् 2074 से 2077 जमाबन्दी है जो गफूर खाँ पुत्र मुरीद खाँ के नाम की है।'' ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण के द्वारा अपील में झूठे कथन किये गये है कि वक्त सेटलमेंट दोनो खसरान् की भूमि मुरीद खाँ के नाम थी और उसके फौत होने के पश्चात गफूर खाँ अकेले ने अपना फौतेदगी म्यूटेशन पारित करवाते हुए अकेले का नाम दर्ज करवा दिया कतई मानने योग्य नही है और ऐसे झूठे कथनो के आधार पर प्रस्तुत अपील भारी हर्जे खर्चे के साथ काबिले खारिज है।

18. रेस्पो0 संख्या 3 से 10 की ओर से दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह कथन किया कि दोनो खसरान् की भूमि को लेकर माननीय उपखण्ड अधिकारी पोकरण के समक्ष झूठे तथ्यों के आधार पर खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया हुआ बताया है और दोनो खसरान् की भूमि वक्त सेटलमेंट मुरीद खाँ के नाम थी जो मुरीद खाँ के फौत होने पर उनके सभी वारिसो के नाम फौतेदगी म्यूटेशन पारित नहीं कर मात्र गफूर खाँ के नाम दर्ज कर दिया। उक्त वाद के सम्मन प्रतिवादी गफूर खाँ को कभी प्राप्त नहीं हुआ फिर भी उपखण्ड अधिकारी के द्वारा गफूर खाँ के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए बिना तनकी कायम किये और बिना कोई दस्तावेज देखे वाद डिक्री कर दिया, जिसकी जानकारी होने पर गफूर खाँ के द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो उक्त न्यायालय के द्वारा दिनांक 28.07.2008 को उपखण्ड अधिकारी के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त कर दिया। उक्त दोनो निर्णयों के विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 स्व. हनीफा व 2 अल्लाबचाया के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जो कि दिनांक 19.07.2024 को विड्रो कर ली गई जिस पर राजस्व अपील प्राधिकारी के द्वारा दिनांक 28.07.2008 को पारित किया गया निर्णय अंतिम हो गया है और उक्त निर्णय की पालना में खसरा संख्या 141 के बाबत् तहसीलदार महोदय के आदेशानुसार म्यूटेशन संख्या 44 दिनांक 24.07.2024 स्वीकृत किया गया है और उक्त म्यूटेशन व आदेश को अपीलार्थीगण के द्वारा आज दिनांक तक कोई चुनौती नहीं दी गई है तथा



सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

खसरा संख्या 115 के बाबत् तहसीलदार महोदय के आदेशानुसार म्यूटेशन संख्या 216 दिनांक 23.07.2024 पारित किया गया है जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा मौजूदा अपील प्रस्तुत की गई और पंजीबद्ध दस्तावेज की पालना में पारित म्यूटेशन के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष एक अपील संख्या 105/2024 बअनवान कादर खाँ के कायम मुकाम बनाम हनीफा के कायम मुकाम लम्बित है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण के द्वारा राजस्व मण्डल के समक्ष प्रकरण लम्बित होते हुए अपीलाधीन म्यूटेशन पारित करने के कथन बिल्कुल सफेद झूठ किये गये है।

19. रेस्पो0 संख्या 3 से 10 की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी कथन किया गया कि अपीलार्थीगण के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में लम्बित द्वितीय अपील को अल्लाबचाय वगैरा के द्वारा विड्रो करने पर उक्त विड्रो आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट पीटिशन पेश की गई, जिस पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत रिट संख्या 13409/2024 दिनांक 20.08.2024 को अस्वीकार कर खारिज करते हुए अपीलार्थीगण को माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष विड्रो की गई द्वितीय अपील को, अपीलार्थीगण जो कि रेस्पोडेंट थे, को अपीलार्थी के रूप में पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर राजस्व मण्डल को 4 सप्ताह के अन्दर विधि के अनुसार अपील का निस्तारण करने का आदेश दिया गया। जिस पर राजस्व मण्डल के द्वारा अपीलार्थीगण को रेस्पोडेंट के स्थान पर अपीलान्ट पक्षकार संयोजित किया जा चुका है और उक्त द्वितीय अपील आज भी माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष लम्बित है ऐसी स्थिति में मैरिट पर जो भी निर्णय होगा वो राजस्व मण्डल के द्वारा पारित किया जायेगा क्योंकि राजस्व मण्डल के समक्ष खातेदारी घोषणा के बाबत् द्वितीय अपील विचाराधीन है जिसमें खातेदारी अधिकारो की घोषणा का प्रश्न विद्यमान है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण के द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर पंजीबद्ध दस्तावेज की पालना में पारित अपीलाधीन म्यूटेशन के विरूद्ध प्रस्तुत यह अपील किसी भी रूप से पोषणीय नहीं हो सकती है जिसे खारिज किया जावे।

20. रेस्पो0 संख्या 3 से 10 की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह कथन भी किया गया कि अपीलार्थीगण के द्वारा उक्त निष्पादित पंजीबद्ध दस्तावेज को आज दिन तक सिविल न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में पंजीबद्ध दस्तावेजात के अस्तिव में होते हुए अपीलाधीन म्युटेशन को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। म्यूटेशन के विरूद्ध प्रस्तुत अपील एक फिस्कल प्रोसिडिंग होने से किसी पक्षकारान् के अधिकार तय नहीं किये जा सकते है और अपीलार्थीगण के कथनानुसार अधिकारो की घोषणा बाबत्



संभागीय आयुक्त
जोधपुर

माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष द्वितीय अपील लम्बित है ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील काबिले खारिज है, जिसे खारिज फरमाई जावे।

21. हमने पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर गहनता से चिन्तन एवं मनन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों/अपील, अपीलाधीन आदेशों, निर्णय नजीरों इत्यादि का बगौर अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि अपीलान्टस् के द्वारा यह अपील नामान्तरकरण संख्या 216 ग्राम चानणी मेघासर तहसील–फलसूण्ड जो कि ग्राम चानणी मेघासर के ख0सं0 115 रकबा 37.0125 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.07.2008 के अनुसार रेस्पो0 संख्या 03 के पक्ष में भरा जाकर दिनांक 23.07.2024 को तहसीलदार, फलसूण्ड के द्वारा स्वीकृत किया गया है, के विरूद्ध पेश की गई है।

22. अपीलान्टस् की ओर से उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 216 के विरूद्ध मुख्य आपत्ति यह की गई है कि श्री गफूरखॉ के पक्ष में अपीलाधीन नामान्तरकरण को स्वीकृत किये जाने से पूर्व प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और न ही विधिक वारिसों को नोटिस दिये गये और न ही वादग्रस्त भूमि का मौका निरीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त किसी पारित निर्णय के विरूद्ध उच्चतर न्यायालय में अपील पेश करने की मियाद तक पारित निर्णय की पालना में किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जाना चाहिये। वादग्रस्त भूमि के खातेदार मुरीदखॉ के होने तथा उनका देहान्त होने पर उसके प्रथम श्रेणी के वारिसान यानि अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करना चाहिये था क्योंकि गफूरखॉ के द्वारा नाजायज तरीके से अपना नाम वादगस्त भूमि के रिकार्ड में दर्ज करवा लिया गया था जिसके सम्बन्ध में हनीफों वगैराह के द्वारा सहायक कलेक्टर न्यायालय पोकरण के समक्ष राजस्व वाद संख्या 118/2006 पेश होने पर दावा दिनांक 29.12.2006 को स्वीकार हुआ तत्पश्चात उसके विरूद्ध गफूरखॉ पुत्र मुरीद खॉ के द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय के अपील संख्या 26/2007 पेश होने उक्त अपील दिनांक 28.7.2008 को स्वीकार की गई तथा सहायक कलेक्टर न्यायालय पोकरण के द्वारा राजस्व वाद में पारित आदेश दिनांक 29.12.2006 को निरस्त कर दिया गया, जिसके विरूद्ध हनीफा वगैराह के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष अपील संख्या 8131/2008 पेश की गई जो कि हनीफा के पुत्र अल्ला बचाया के द्वारा दिनांक 19.7.2024 को विड्रो कर ली गई।

23. अपीलाधीन नामान्तरकरण के सम्बन्ध में तहसीलदार, फलसूण्ड के द्वारा न्यायालय हाजा को भिजवाई गई पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया जिसमें माननीय राजस्व मण्डल,



संभागीय आयुक्त
जोधपुर

न्यायालय कें समक्ष प्रस्तुत अपील को विड्रो कर लिये जाने के पश्चात रेस्पो0 संख्या 3 गफूर खॉं के द्वारा दिनांक 22.07.2024 को तहसीलदार, फलसूण्ड के समक्ष एक प्रार्थना पत्र मय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 19.7.2024 की प्रति पेश करते हुए राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय, बाडमेर के द्वारा राजस्व अपील संख्या 26/2007 में उनके पक्ष में दिये गये निर्णय दिनांक 28.7.2008 के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का कथन किया गया है।

24. गफूरखॉं के उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार फलसूण्ड के द्वारा पटवारी हल्का को माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर न्यायालय के निर्णय की पालना करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर पटवारी हल्का के द्वारा ख0सं0 115 रकबा 27.0125 हैक्टर भूमि का नामान्तरकरण संख्या 216 दिनांक 23.7.2024 को राजस्व रेकर्ड में पूर्व में इन्द्राजों की जगह गफूर खॉं का नाम दर्ज करते हुए तहसीलदार फलसूण्ड के समक्ष पेश किया गया है जिसे तहसीलदार फलसूण्ड के द्वारा दिनांक 24.07.2024 को स्वीकृत किया गया है।

25. तहसीलदार फलसूण्ड के द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण को स्वीकृत किये जाने के समय उनके समक्ष किसी प्रकार उच्चतर न्यायालय का स्थगन अथवा अपील पेश होने/विचाराधीन होने का कोई दस्तावेज रेकर्ड पर नहीं होने से तहसीलदार फलसूण्ड के द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण को स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार तहसीलदार, फलसूण्ड के द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण जो कि एक राजस्व न्यायालय के दिये गये निर्णय की पालना में स्वीकृत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है और न ही इसे विवादित नामान्तरकण की कार्यवाही करार दिया जा सकता है। अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण के विरूद्ध जिला कलेक्टर न्यायालय के समक्ष राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत प्रथम अपील पेश करनी चाहिये थी, न कि सीधे ही इस न्यायालय के समक्ष।

26. इसके अतिरिक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा अपील संख्या 8131/2008 जो कि जरिये विड्रो निर्णित की जा चुकी है, को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा दिनांक 17.10.2024 को पुनः नम्बर पर लिया जाना दस्तावेजों से प्रकट होता है जिसमें निर्णय होना शेष है। अब चूंकि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में उच्चतर न्यायालय में अपील विचाराधीन चल रही है तो न्यायालय हाजा के द्वारा किसी भी प्रकार का निर्णय दिया जाना उच्चतर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया जाना तथा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्यवाही किया जाना दर्शित हो जायेगा। अतः इस स्तर पर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाई जाती है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

27. अतः उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलान्टस् की सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा तहसीलदार, फलसूण्ड के द्वारा ग्राम चानणी मेघासर के नामान्तरकरण संख्या 216 पर पारित किये गये स्वीकृति आदेश दिनांक 23.7.2024 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 21 जनवरी, 2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर